POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 30.03.2024

1.थाना बिसरख पुलिस द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कार का प्रयोग करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 29.03.2024 को थाना बिसरख पर नेक्सान कार रजि0नं0 यूपी 16 डीवाई 4318 के मालिक द्वारा सूचना दी गयी कि उनकी कार से मिलती हुई कार नेक्सान जिस पर वादी की कार की ही नम्बर प्लेट लगी है, जिसके आधार पर वादी के द्वारा थाना बिसरख पर दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 238/2024 धारा 420/482 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 30.03.2024 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलान्स व सीसीटीवी फुटेज की सहायता से अभियुक्त शिवम पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिंह को देविका गोल्ड होम सोसाइटी के पास से अभियुक्त को मय कार के **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि फरवरी 2023 में मेरी शादी हुई थी, यह नेक्सान कार मेरी शादी में मिली थी जिसको ससुरालीजन द्वारा फाइनेन्स कराया गया था। यह कार मेरी पत्नी के नाम थी जिसका वास्तविक रजि0नं0 डीएल 9 सीबीए 8609 है। शादी के कुछ समय बाद हम लोगों का आपस में मनमुटाव हो गया जिसके चलते एक दिन मैं कार को अपने साथ ले आया था जिसके सम्बन्ध में मेरी पत्नी द्वारा थाना मोतीनगर, पश्चिम दिल्ली में मु0अ0सं0 686/2023 धारा 498ए/406/34 भादवि बनाम शिवम के विरूद्ध पंजीकृत कराया था, दहेज में मिली नेक्सान कार को फाइनेन्स से बचने के लिए एक फर्जी नम्बर प्लेट यूपी 16 डीवाई 4318 लगाकर देविका गोल्ड होम सोसाइटी की पार्किंग में खडी कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. शिवम पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह निवासी गुलशन पार्क, नागलोई, दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 238/2024 धारा 420/482 थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 686/2023 धारा 498ए/406/34 भादवि थाना मोतीनगर, पश्चिम दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

1. एक कार नेक्सान रजि0नं0 डीएल 9 सीबीए 8609 मय फर्जी नम्बर प्लेट यूपी 16 डीवाई 4318

2.थाना फेस-2 पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 18 पेटी अवैध देशी शराब व घटना में प्रयुक्त गाड़ी स्विफ्ट डिजायर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 30.03.2024 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा लोकल इन्टेलीजेन्स की सहायता से चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के दादरी-भंगेल रोड पर बस स्टैण्ड सेक्टर-88 के पास से अवैध शराब की तस्करी करने वाला अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र ह्रदय अवाना को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी रजि नं0 एचआर 55 एडी 7985 स्विफ्ट डिजायर व 18 पेटी अवैध देशी शराब कुल 900 पव्वे (162 लीटर) हरियाणा मार्का बरामद की गयी है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में भी शराब की तस्करी में जेल जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. रोहित कुमार पुत्र ह्रदय अवाना निवासी असगरपुर, सेक्टर-128, थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 163/ 2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 661/2015 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 171 भा0द0वि0 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 452/18 धारा 272,420 भा0द0वि0 थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 17/21 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम व धारा 272 भा0द0वि0 थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 18/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 329/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 65/22 धारा 323,498ए,504,506 भा0द0वि0 थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 180/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. कुल 900 पव्वे (162 लीटर) हरियाणा मार्का
2. स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रजि0नं0 एचआर 55 एडी 7985